परिपत्र संख्या 23/2021-सीमाशुल्क

फा.सं. सीबीआईसी-140605/17/2021- ओ/ओ निदेशक (प्रतिअदायगी)-सीबीईसी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

(प्रतिअदायगी प्रभाग)

****

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितंबर, 2021

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त

सीमाशुल्क/सीमाशुल्क (निवारक)/सीमाशुल्क और केंद्रीय कर और

सीबीआईसी के तहत सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक

महोदया/महोदय,

विषय:- निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट के लिए योजना (आरओडीटीईपी) 01.01.2021 से प्रभावी।

आपका ध्यान आरओडीटीईपी योजना अधिसूचना संख्या 76/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 23.09.2021 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 51ख के तहत जारी की गई है, जिसमें विभिन्न शर्तों और प्रतिबंधों को निर्धारित किया गया है, जिसके अधीन शुल्क क्रेडिट उपयोग, स्थानांतरित हेतु जारी किया जाएगा और अधिसूचना संख्या 75/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 23.09.2021 इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर के उपयोग, हस्तांतरण, रखरखाव आदि के लिए विनियमों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 51ख के साथ पठित धारा 157 के तहत जारी किया गया।

2. अधिसूचना सं. 76/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.) वाणिज्य विभाग/डीजीएफटी अधिसूचना सं. 19/2015-2020, दिनांक 17.08.2021 के परिणामस्वरूप जारी किया गया है। विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित" *निर्यात उत्पादों पर कर्तव्यों और करों की छूट के लिए योजना (आरओडीटीईपी)" को सम्मिलित* करते हुए, और परिशिष्ट 4 आर के साथ विनिर्दिष्ट योजना दिशानिर्देशों को दरों की अनुसूची और आगे विनिर्दिष्ट करते हुए यह योजना 01.01.2021 से निर्यात के लिए प्रभावी होगी।

3. वित्त अधिनियम, 2020 के तहत अंतर्निदिष्ट सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 51बी के संदर्भ में, किसी व्यक्ति को जारी किए गए हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट के रूप

में और सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक शुल्क क्रेडिट खाता बही में बनाए रखने के लिए छूट की राशि प्रदान करती है।

4. चूंकि यह सुविधा प्रणाली निदेशालय द्वारा 01.01.2021 के बाद से ही शिपिंग बिल/निर्यात बिल पर आरओडीटीईपी का दावा करने के लिए परिचालित की गई थी, इस योजना के तहत कवर की गई वस्तुओं के संबंध में आरओडीटीईपी के अनुदान की पात्रता इस आधार पर कार्य करेगी। प्रणाली निदेशालय इस प्रक्रिया को शुरू करेगा, जिसमें जोखिम मूल्यांकन के आधार पर भी शामिल है। उचित सीमा तक, शुल्क प्रतिअदायगी दावों के प्रसंस्करण के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में बोर्ड का परिपत्र संख्या 15/2021-सीमाशुल्क दिनांक 15.07.2021 भी प्रासंगिक होगा।

5. आरओडीटीईपी योजना विनिर्दिष्ट निर्यात वस्तुओं पर केंद्र/राज्य/स्थानीय स्तर पर शुल्क, कर और लेवी की मामलों में छूट देती है, जहां इस तरह के शुल्क या कर या लेवी को किसी अन्य योजना के तहत छूट, प्रेषित या जमा नहीं किया जाता है। आरओडीटीईपी के तहत छूट फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) के प्रतिशत के रूप में है कतिपय एचएस कोडों के लिए मूल्य सीमा के साथ पात्र निर्यात उत्पाद का मूल्य या विदेश व्यापार नीति एफटीपी के परिशिष्ट 4आर के तहत वर्णित विशिष्ट मूल्य पर है।

6. योजना का लाभ उठाने के लिए, किसी निर्यातक को इलेक्ट्रॉनिक शिपिंग बिल पर एक घोषणा भी करनी होती है कि वह योजना के प्रावधानों का पालन करेगा, पहले से छूट वाले किसी भी शुल्क/कर/लेवी के संबंध में छूट/माफी का दावा नहीं करेगा या अन्य योजनाओं के तहत जिसके लिए छूट का प्रावधान किया गया है। और यह लेखा परीक्षा आदि के लिए दस्तावेजों को संरक्षित करेगा।

7. एक बार जब प्रणाली निदेशालय आरओडीटीईपी का प्रसंस्करण शुरू कर देता है, तो सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली में एक स्क्रॉल उत्पन्न हो जाएगा। इस स्क्रॉल में शिपिंग बिल का विवरण होगा, शिपिंग बिल के लिए शुल्क क्रेडिट की मात्रा आदि की अनुमति होगी। निर्यातक के पास निर्यात के विशेष सीमाशुल्क स्टेशन पर एक स्क्रॉल या कई स्क्रॉल में उपलब्ध शुल्क क्रेडिट को संयोजित करने और एक ई- सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली में बनाए गए निर्यातक के इलेक्ट्रॉनिक लेज़र में ई-स्क्रिप उत्पन्न करने का विकल्प होता है। आईईसी नंबर के प्रत्येक धारक के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक लेज़र बनाया जाएगा जो या तो निर्यातक है जिसने माल के निर्यात के खिलाफ आरओडीटीईपी का दावा किया है या हस्तांतरण के माध्यम से शुल्क क्रेडिट प्राप्त करने वाला है।

8. निर्यातक के पास स्क्रॉल उत्पन्न होने के एक वर्ष के भीतर ई- स्क्रिप तैयार करने का विकल्प होता है। यदि निर्यातक द्वारा इस विकल्प का लाभ नहीं उठाया जाता है, तो प्रत्येक स्क्रॉल में उपलब्ध शुल्क क्रेडिट को सीमाशुल्क स्टेशन-वार जोड़ा जाएगा और सीमाशुल्क प्रणाली द्वारा उक्त निर्यातक के इलेक्ट्रॉनिक लेज़र को ई-स्क्रिप के रूप में भेजा जाएगा। एक ई-स्क्रिप लेजर में इसके निर्माण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और उक्त ई-स्क्रिप में कोई भी शुल्क क्रेडिट इस अवधि के अंत में अप्रयुक्त शेष समाप्त हो जाएगा।

9. ई-स्क्रिप मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होंगे। ई-स्क्रिप के हस्तांतरण के कारण ई-स्क्रिप की वैधता की अवधि नहीं बदलेगी। हालांकि, ई-स्क्रिप में उपलब्ध शुल्क क्रेडिट को एक बार में उक्त ई-स्क्रिप में उपलब्ध संपूर्ण राशि के लिए किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाएगा और आंशिक रूप से शुल्क क्रेडिट के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक ई-स्क्रिप में एक विशिष्ट पहचान संख्या और इसके निर्माण की तिथि होगी। क्रेडिट, डेबिट या ड्यूटी क्रेडिट के हस्तांतरण के माध्यम से आईईसी के खाता बही में किए गए सभी लेनदेन उक्त आईईसी धारक और सीमाशुल्क के लिए दृश्यमान होंगे। एक बार एक ई-स्क्रिप बही में जारी हो जाने पर, यह स्वचालित रूप से निर्यात के सीमाशुल्क स्टेशन के साथ पंजीकृत हो जाएगी।

10. ई-स्क्रिप्स का उपयोग सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट सीमाशुल्क के भुगतान के लिए किया जाएगा, अर्थात केवल सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली के माध्यम से किए गए आयात पर मूल सीमाशुल्क।

11. आरओडीटीईपी योजना के तहत अनुमत ड्यूटी क्रेडिट आरबीआई द्वारा अनुमत अवधि के भीतर बिक्री आय की वसूली के अधीन है। विस्तृत प्रावधानों का उल्लेख अधिसूचना संख्या 76/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.) के पैरा 2(4), 2(6) और 2(7) में किया गया है। उक्त अधिसूचना के साथ पठित विनियम, ड्यूटी क्रेडिट या ई-स्क्रिप के निलंबन या रद्दीकरण या जब शुल्क क्रेडिट की अनुमति अधिक थी या जहां निर्यात आय की वसूली नहीं हुई थी, तो वसूली की स्थितियों और तरीके का भी प्रावधान करते हैं। इस संबंध में, आयुक्तों को प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित और अपनाने की सलाह दी जाती है ताकि की गई कार्रवाई आवश्यकताओं के अनुरूप बनी रहे।

12. अपात्र निर्यात श्रेणियों या क्षेत्रों का विवरण आरओडीटीईपी अधिसूचना की तालिका 1 में उल्लिखित है। पूर्ण विवरण के लिए सभी अधिसूचनाओं को पढ़ने का अनुरोध किया जाता है। ये egazette.nic.in/CBIC वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

13. एक प्रति डीजी प्रणाली को आवश्यक कार्यों के लिए पृष्ठांकित की जा रही है, जिसमें उपयुक्त सक्षमताओं/कार्यक्षमताओं के प्रावधान शामिल हैं।

14. निर्यातकों और व्यापार के मार्गदर्शन के लिए इस योजना का प्रचार-प्रसार हेतु और अधिकारियों को स्थायी आदेश जारी करने हेतु यथोचित नोटिस जारी किया जाए जिससे कि इसका सहज रूप से क्रियान्वयन हो सके। इस बारे में यदि कोई कठिनाई सामने आ रही हो तो इसे बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है।

आपका,

(निधीश सिंघल)
एसटीओ (प्रतिअदायगी)

सूचना और आवश्यक कार्रवाइयों के लिए प्रतिलिपि:

प्रधान महानिदेशक,
प्रबंधन महानिदेशालय, अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क
चौथी और पांचवीं मंजिल, होटल सम्राट,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली- 110021.